"जैव विविधता संरक्षण.....प्रकृति के साथ जीने की कला"

कार्यालय उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।

ई-मेल: sbbuttarakhand@gmail.com
वेबसाइट : www.sbb.uk.gov.in

423, इन्दिरा नगर कॉलोनी (निकट मलिक चौक),
देहरादून-248006 (टेलीफैक्स - 0135-2769886)

पत्रांक: 198 / जै०वि०बो०-16-3 (15th बोर्ड बैठक)

दिनांक 13, अक्टूबर, 2020

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
वन्यजीव सुरक्षा एवं आसूचना,
उत्तराखण्ड, देहरादून
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित।
(पदेन सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)

2. निदेशक,
पशुपालन विभाग,
पशुधन भवन, मोथरोंवाला, उत्तराखण्ड
देहरादून
(पदेन सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

3. निदेशक,
कृषि विभाग,
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून
(पदेन सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)

4. निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, पोस्ट
डालनवाला, देहरादून।
(पदेन सदस्य, उत्तराखण्ड, जैव विविधता बोर्ड)।

5. निदेशक,
जड़ी-बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर चमोली।
(विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)

6. निदेशक,
भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी,
देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि।
(विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

7. निदेशक,
गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी कटारमल अल्मोडा द्वारा नामित प्रतिनिधि (विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

8. निदेशक / विभागाध्यक्ष,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान,
कौलागढ़, रोड, देहरादून या नामित प्रतिनिधि
(विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

विषयः उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की पंद्रवीं (15th) बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2020 का कार्यवृत्त।

महोदय,

दिनांक 29.09.2020 को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की पंद्रवीं (15th) बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि (कार्यवृत्त की प्रति)।

भवदीय,

13/10/2020

(एस०एस० रसाईली)
सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

पत्रांकः 198 /16–3 (15th बोर्ड बैठक) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान (एफ०आर०आई०), न्यू फॉरेस्ट, देहरादून।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, चौबटिया रानीखेत, अल्मोड़ा।
5. निदेशक, मत्स्य पालन, बडासी ग्रान्ट, धन्याड़ी, रायपुर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभारी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, 292, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
7. गार्ड बुक हेतु।

संलग्नक–यथोपरि (कार्यवृत्त की प्रति)।

13/10/2020

(एस०एस० रसाईली)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की पंद्रवीं (15^{th}) बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2020 का कार्यवृत्तः–

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की पंद्रवी (15^{th}) बैठक श्री राजीव भरतरी, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2020 को बोर्ड कार्यालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यगण की सूची संलग्न है **(संलग्नक–1)।**

इस कार्यालय के पत्रांक 148/जै०वि०बो०–16–3 दिनांक 09.09.2020 द्वारा बोर्ड की बैठक का ऐजेण्डा बोर्ड के सभी सदस्यों/आमंत्रियों को प्रेषित कर दिया गया था। बोर्ड में उपरोक्त ऐजेण्डा के अनुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया जो निम्नानुसार हैं:–

ऐजेण्डा–1: उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की दिनांक 25.07.2019 को सम्पन्न 14वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया।

क्र०सं०	बैठक के बिन्दु	बैठक में लिया गया निर्णय	अनुपालन आख्या
1.	बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के निर्धारित मूल्य में क्रेताओं को छूट देने से सम्बन्धित	बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया	इस कार्यालय के आदेश दिनांक 05.08.2019 से अनुपालन किया गया
2.	आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त सेवाओं हेतु राजकीय यात्राओं के यात्रा तथा स्थगन भत्ता के सम्बन्ध में	आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त सेवाओं हेतु राजकीय यात्रा तथा स्थगन भत्ता दर का निर्धारण किया गया।	इस कार्यालय के आदेश दिनांक 06.08.2019 से अनुपालन किया गया।
3.	बोर्ड के वित्तीय पोषण में अनुसंधान/अध्ययन कराने हेतु एक नीति तथा कार्य पद्धति विकसित की जाये।	बैठक में वित्त पोषण के लिये किये जाने वाले अनुसंधान/अध्ययन के लिये मानक तय किये जाने का निर्णय लिया गया।	अनुसंधान/अध्ययन हेतु नीति तथा कार्य पद्धति निर्धारित किये जाने हेतु सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रस्ताव मांगे गये हैं
4.	बोर्ड के वित्तीय पोषण में किये जाने वाले अनुसंधान/अध्ययन के विषय के सम्बन्ध में	बोर्ड के वित्तीय पोषण में किये जाने वाले अनुसंधान/अध्ययन के विषय को बोर्ड के Mandate के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित की जाये।	अनुसंधान/अध्ययन के विषय में सुझाव प्राप्त करने हेतु विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को पत्र प्रेषित किये गये हैं
5.	बोर्ड के वित्तीय पोषण में किये जाने वाले अनुसंधान/अध्ययन के विषय निर्धारित करने हेतु बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों को सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के वित्तीय पोषण में किये जाने वाले अनुसंधान/अध्ययन के विषय निर्धारित करने हेतु बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा विषय सूची उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।	बिन्दु संख्या–04 के अनुसार कार्यवाही
6.	प्रदेश के जैव विविधता एवं जैव संसाधनों पर विभिन्न संस्थानों	प्रदेश के जैव विविधता एवं जैव संसाधनों पर विभिन्न संस्थानों द्वारा	सूचना संकलित करने हेतु विभिन्न अनुसंधान

	द्वारा किये गये/किये जा रहे अनुसंधान/अध्ययन कार्य के सम्बन्ध में।	किये गये/किये जा रहे अनुसंधान/अध्ययन कार्य के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जाये ताकि प्रस्तावित शोध कार्य को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाये।	संस्थानों को पत्र प्रेषित किया गया है
7.	पहाडी तथा दूर-दराज के क्षेत्र से पलायन का क्षेत्र के कृषि जैव विविधता/पालतू पशु जैव विविधता तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान पर पड रहा प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करके ऐसे बहुमूल्य जैव विविधता तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण हेतु नीति तथा कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में अनुसंधान/अध्ययन कराया जाये।	पहाडी तथा दूर-दराज के क्षेत्र से पलायन का क्षेत्र के कृषि जैव विविधता/पालतू पशु जैव विविधता तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान पर पड रहा प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करके ऐसे बहुमूल्य जैव विविधता तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण हेतु नीति तथा कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में अनुसंधान/अध्ययन कराये जाने का निर्णय लिया गया।	इस विषय पर पलायन आयोग द्वारा बृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पृथक से शोध कार्य करने का प्रस्ताव अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी।
8.	जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र की कृषि तथा पालतू पशु जैव विविधता पर पड रहे प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करके इसका निराकरण हेतु शोध कार्य किया जाना आवश्यक है।	जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र की कृषि तथा पालतू पशु जैव विविधता पर पड रहे प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करके इसका निराकरण हेतु शोध कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया।	प्रस्तावित शोध कार्य एक प्रदेश व्यापी दीर्घकालिक तथा अधिक संसाधन आवश्यक शोध कार्य होने के कारण ऐसे शोध कार्य को शोध संस्थान द्वारा किया जाना उचित मानते हुये अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गयी।
9.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 में प्राविधानित विभिन्न प्राविधानों के सापेक्ष बोर्ड का Vision Statement निर्धारित किया जाये ताकि इस Vision Statement के अनुसार बोर्ड द्वारा विभिन्न शोध कार्य किये जा सके।	जैव विविधता अधिनियम, 2002 में प्राविधानित विभिन्न प्राविधानों के सापेक्ष बोर्ड का Vision Statement निर्धारित किया जाये ताकि इस Vision Statement के अनुसार बोर्ड द्वारा विभिन्न शोध कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया।	बोर्ड के Vision Statement का आलेख तथा विशेषज्ञों के सुझाव की प्रति संलग्न है।

<u>ऐजेण्डा 2:</u> 14वीं बोर्ड बैठक के पश्चात की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना:-

14वीं बोर्ड बैठक के पश्चात की गयी विभिन्न कार्यवाहियों एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में सम्मानित सदस्यगणों को अवगत कराया गया।

<u>ऐजेण्डा 3:</u> राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर पर लोक जैव विविधता पंजिका की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु "उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति" के गठन करने का अनुमोदन प्राप्त करना:-

बिन्दुः— बोर्ड के अनुमोदन के प्रत्याशा में इस कार्यालय के आदेश सं० 119 / 16—5 दिनांक 28.08.2020 द्वारा समिति का गठन किया गया।

अनुमोदनः— इस कार्यालय के आदेश सं० 119 / 16—5 दिनांक 28.08.2020 द्वारा समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया :—

1.	श्री एस०टी०एस० लेप्चा, आई०एफ०एस० (सेवानिवृत्त) एम०डी०, उत्तराखण्ड वन विकास, निगम, देहरादून	—	अध्यक्ष
2.	डा० बी०एस० अधिकारी, वैज्ञानिक—जी, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	—	सदस्य
3.	डा० गौरव शर्मा, वैज्ञानिक—ई, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, कौलागढ, देहरादून	—	सदस्य
4.	डा० मधु थपलियाल, एसोसिएट प्रोफेसर, जंतु विज्ञान विभाग, रा०स्ना०महा० मालदेवता, (रायपुर) देहरादून	—	सदस्य
5.	डा० पुनित कुमार, वैज्ञानिक—सी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, कौलागढ, देहरादून	—	सदस्य
6.	श्री संजय सौंधी, तितली ट्रस्ट, राजपुर रोड, देहरादून	—	सदस्य
7.	श्री एस०एस० रसाईली, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून	—	सदस्य

उक्त गठित समिति का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि वर्तमान में जिन बी०एम०सी० के गठन का प्रपत्र पंचायती राज विभाग से प्राप्त नहीं हुये हैं जिसे सर्वप्रथम प्राप्त कर पी०बी०आर० में समायोजित किया जाना आवश्यक है।

ऐजेण्डा 4: NMHS (National Mission of Himalayan Studies) परियोजना पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना :—

बिन्दुः— NMHS परियोजना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।

अनुमोदनः— बैठक में निर्णय लिया गया कि परियोजना में मदवार किये गये कार्यो व आवंटित धनराशि के विरूद्ध व्यय तथा किये गये कार्यों का विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि एन०एम०एच०एस० परियोजना अन्तर्गत बी०एम०सी० का गठन, पी०बी०आर० का निरूपण तथा ए०बी०एस० से सम्बन्धित किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण भी अगले बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही—परियोजना समन्वयक, एन०एम०एच०एस०, उ०जै०वि०बोर्ड)

ऐजेण्डा 5: सिक्योर हिमालय परियोजना पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करनाः—

बिन्दुः– UNDP तथा वन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संयुक्त रूप से संचालित सिक्योर हिमालय परियोजना के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही एवं उक्त परियोजना को परियोजना अवधि तक जारी रखने न रखने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना।

अनुमोदनः– बैठक में निर्णय लिया गया कि परियोजना में मदवार किये गये कार्यो व आवंटित धनराशि के विरूद्ध व्यय तथा किये गये कार्यों का विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि सिक्योर हिमालय परियोजना अन्तर्गत बी०एम०सी० का गठन, पी०बी०आर० का निरूपण तथा ए०बी०एस० से सम्बन्धित किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण भी अगले बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही–परियोजना समन्वयक, सिक्योर हिमालय परियोजना, उ०जै०वि०बोर्ड)

<u>ऐजेण्डा 6:</u> **मौण मेला–2019 के आयोजन पर हुये व्यय का भुगतान करने का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करनाः–**

बिन्दुः– मौण मेला 2019 (27.06.2019) में जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबधित विषय का आयोजन तितली ट्रस्ट, देहरादून द्वारा किया गया उक्त आयोजन पर हुये व्यय ₹1,00,270/– मात्र का भुगतान (ABS Fee+5%) तितली ट्रस्ट, देहरादून को किया गया जिसपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अनुमोदनः– उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि आगामी बोर्ड बैठक में मौण–मेला जागरूकता अभियान पर किये गये कार्यो की विस्तृत रिपोर्ट तितली ट्रस्ट, देहरादून प्रस्तुत की जायेगी।

(कार्यवाही – अध्यक्ष, तितली ट्रस्ट, देहरादून)

<u>ऐजेण्डा 7:</u> **भारतीय वन्य जीव संस्थान को अति संकटग्रस्त एवं तथाकथित लुप्तप्रायः बज्रकीट एवं बज्र कपटा (पैंगोलिन) पर अध्ययन करने का भुगतान करने का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करनाः–**

बिन्दुः– भारतीय वन्य जीव संस्थान तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 'Pilot Study on Current Status, Distribution and Threats to Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*) in Uttarakhand' शोध कार्य का अतिरिक्त अवधि एवं धनराशि के प्रस्ताव को अनुमोदित करना।

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन किया गया :–

- बैठक में निर्णय लिया गया कि 'Pilot Study on Current Status, Distribution and Threats to Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*) in Uttarakhand' शोध कार्य को विगत में वन विभाग की अनुमति काफी विलम्ब से मिलने के कारण शोध कार्य को पूर्ण किये जाने

हेतु अवधि विस्तार एवं अतिरिक्त धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व भारतीय वन्य जीव संस्थान को सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से समस्त आवश्यक अनुमति प्राप्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- पैंगोलिन पर शोध कार्य को और वृहद्ध रूप से करने हेतु अन्य स्रोत से भी धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाये।
- जहां तक सम्भव हो अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित बी०एम०सी० को पैंगोलिन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना अथवा जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने में अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित बी०एम०सी० का सहयोग प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाही–डा० सेलवाडोर, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून)

- WII, ZSI, BSI की वैबसाईट पर Research related guidelines के दृष्टिगत उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड हेतु भी दिशा–निर्देश निरूपित किया जाना।

(कार्यवाही–टीम लीडर, अनुसंधान, उ०जै०वि०बोर्ड)

<u>ऐजेण्डा 8:</u> **अनुसंधान अधिकारी की सेवायें (आउटसोर्स) से प्राप्त करने के सम्बन्ध में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना :–**

बिन्दुः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) के दिनांक 08.08.2018 एवं 12.04.2019 द्वारा अनुसंधान/जी०आई०एस० की सेवा आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अनुमोदनः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) के आदेश दिनांक 08.08.2018 एवं 12.04.2019 के अनुपालन में पंचायती राज तथा शहरी विकास विभागों द्वारा गठित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का लोक जैव विविधता पंजिका निरूपित करने हेतु बोर्ड कार्यालय में अनुसंधान/ जी०आई०एस० की सेवा आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया। उक्त प्रयोजन हेतु बोर्ड कार्यालय में निम्नानुसार अनुसंधान/जी०आई०एस० की सेवा ली जा रही है :–

1. अनुसंधान अधिकारी (एम०एस०सी०) – 02
2. अनुसंधान अधिकारी (जी०आई०एस०) – 01

<u>ऐजेण्डा 9:</u> **बोर्ड द्वारा सैकेन्ड्री डाटा पर निरूपित पी०बी०आर० एवं बी०सी०पी० की प्रक्रिया को पूर्ण करना तथा गुणात्मक सुधार हेतु टी०एस०जी० का सहयोग प्राप्त करना अथवा न करने से सम्बन्धित बिन्दु :–**

बिन्दुः– बोर्ड द्वारा सैकेन्ड्री डाटा पर निरूपित पी०बी०आर० एवं बी०सी०पी० की प्रक्रिया को पूर्ण करना तथा गुणात्मक सुधार

हेतु टी०एस०जी० का सहयोग प्राप्त करना अथवा न करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना है।

अनुमोदनः– बोर्ड द्वारा सैकेन्ड्री डाटा पर निरूपित पी०बी०आर० एवं बी०सी०पी० की प्रक्रिया को पूर्ण करना तथा गुणात्मक सुधार हेतु टी०एस०जी० का सहयोग प्राप्त करने से पूर्व सभी सम्बन्धित टी०एस०जी० से किये गये अनुबन्ध तथा उनके द्वारा पी०बी०आर० जमा करने की तिथि, पी०बी०आर० की गुणवत्ता पर टिप्पणी आदि का विवरण अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा case to case आधार पर टी०एस०जी० की सेवा लेना तथा शेष धनराशि के भुगतान करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाये।

(कार्यवाही – उप–निदेशक, उ०जै०वि०बोर्ड)

<u>ऐजेण्डा 10</u>: बोर्ड द्वारा निरूपित पी०बी०आर० हेतु जी०आई०एस० मानचित्र तैयार करने हेतु उच्च गुणवत्ता कम्प्यूटर वर्क स्टेशन क्रय किया जाना एवं विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करने से सम्बन्धित बिन्दु पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करनाः–

बिन्दुः– बोर्ड द्वारा निरूपित पी०बी०आर० को अन्तिम रूप देने हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय के भौगोलिक मानचित्र, जो कि अति आवश्यक हैं के कार्यों हेतु उच्च गुणवत्ता कम्प्यूटर वर्क स्टेशन की आवश्यकता है, जिसपर अनुमानित मूल्य ₹3,50,000/– मात्र व्यय होगा तथा उक्त कार्य हेतु 01 विशेषज्ञ की सेवा भी प्राप्त की जानी है इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना है।

अनुमोदनः– बोर्ड द्वारा निरूपित पी०बी०आर० को अन्तिम रूप देने हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय के भौगोलिक मानचित्र, जो कि अति आवश्यक हैं के कार्यों हेतु उच्च गुणवत्ता कम्प्यूटर वर्क स्टेशन की आवश्यकता है, जिसपर अनुमानित मूल्य ₹3,50,000/– मात्र व्यय होगा तथा उक्त कार्य हेतु 01 विशेषज्ञ की सेवा भी प्राप्त करने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही – उप–निदेशक, उ०जै०वि०बोर्ड)

<u>ऐजेण्डा 11</u>: जैव विविधता विरासतीय स्थल गठन के सम्बन्ध में :–

बिन्दु :–

- राज्य में जैव विविधता विरासतीय स्थल गठन करने हेतु अप्रैल, 2011 से मई, 2012 में राज्य में विद्यमान पवित्र वनों का अध्ययन कराया गया।
- राज्य के लगभग 300 पवित्र वन में से निम्नवत 13 पवित्र वन विरासतीय स्थल हेतु उपयुक्त पाये गयेः–

पंचायती वन	आरक्षित वन
1. सैम मुखिम पवित्र वन, जनपद टिहरी	1. ताडकेश्वर पवित्र वन, जनपद पौडी।
2. भतार (मन्थात) पवित्र वन, जनपद, देहरादून	2. थत्यूड पवित्र वन, जनपद, देहरादून।
3. चामुण्डा देवी पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ	3. मंदकेश्वर पवित्र वन, जनपद उत्तरकाशी।
4. काण्डे/साराकोट समर्पित वन, जनपद पिथौरागढ	4. हरियाली देवी पवित्र वन, जनपद रूद्रप्रयाग।
5. धूरका देवी पवित्र वन, जनपद अल्मोडा	5. स्याही/स्यामा देवी पवित्र वन, जनपद अल्मोडा।
6. होकरा देवी पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ	6. थलकेदार पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ
7. सिमगिरी समर्पित वन, जनपद पिथौरागढ	

- उक्त 13 में से प्रथम चरण हेतु निम्न 04 पवित्र वनों का चयन किया गया :–

पंचायती वन	आरक्षित वन
1. सैम मुखिम पवित्र वन, जनपद टिहरी	1. ताडकेश्वर पवित्र वन, जनपद पौडी।
2. धूरका देवी पवित्र वन, जनपद अल्मोडा	2. थलकेदार पवित्र वन, जनपद पिथौरागढ

- थलकेदार पवित्र वन को विरासतीय स्थल गठन करने की कार्यवाही अन्तिम चरण पर है।

अनुमोदन :–

- बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देश के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य हेतु पृथक से जैव विविधता विरासतीय स्थल दिशा–निर्देश तैयार किया जाए।
- वर्तमान में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल स्थापित किये जाने बाबत विस्तृत कृत कार्य/कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए तथा अन्य 3 चयनित क्षेत्रों हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाए।
- राज्य के अन्तर्गत अन्य जैव विविधता विरासतीय स्थल स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यम से आम जनता, अन्य हितधारक, संस्थानों आदि से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें।

(कार्यवाही–टीम लीडर, अनुसंधान, उ०जै०वि०बोर्ड)

<u>ऐजेण्डा 12:</u> **जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 तथा 24 के अनुक्रम में जैव संसाधन तक पहुँच एवं लाभ के सहभाजन (Access and Benefit**

Sharing) के अन्तर्गत अर्जित धनराशि के उपयोग हेतु नीति निर्धारण तथा कार्यप्रणाली का अनुमोदन :–

बिन्दु :–

i. ए०बी०एस० से अर्जित धनराशि से जैव विविधता/जैव संसाधन के संरक्षण एवं संवर्द्धन करने की प्रक्रिया के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श।

ii. जनपद चमोली के अन्तर्गत हिमनी और घेस जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना का अनुमोदन। परियोजना संलग्न है।

अनुमोदन :–

i. उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा पूर्व में गठित **ABS Expert Committee** का पुनर्गठन करते हुए समिति की बैठक शीघ्रातिशीघ्र आयोजित किया जाये।

ii. ए०बी०एस० से अर्जित धनराशि से जैव विविधता/जैव संसाधन के संरक्षण एवं संवर्द्धन करने की प्रक्रिया के प्रस्ताव को नई ए०बी०एस० विशेषज्ञ समिति से अनुमोदित कराया जाये।

iii. जनपद चमोली के अन्तर्गत हिमनी और घेस जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के प्रस्ताव को भी नई ए०बी०एस० विशेषज्ञ समिति से अनुमोदित कराया जाये।

(कार्यवाही – उप–निदेशक, उ०जै०वि०बोर्ड)

ऐजेण्डा 13: आउटसोर्स के माध्यम से सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता के अवधि विस्तार से सम्बन्धित बिन्दु :–

बिन्दु:– मै० उज्जवल लेबर कान्ट्रेक्ट, को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, 50/100, किशन नगर, देहरादून सेवा प्रदाता की सेवायें आगामी 01 वर्ष (मार्च, 2020 से मार्च, 2021 तक) का सेवा विस्तार करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

अनुमोदन :–

- सेवाओं के अवशेष ई०पी०एफ० उनके खाते में जमा कराना सुनिश्चित तथा ई०पी०एफ० जमा करने का प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय में समय से प्रस्तुत किया जायेगा।
- सम्बन्धित सेवा भविष्य निधि (ई०पी०एफ०) प्रत्येक माह समय से जमा कराये जाना सुनिश्चित किया जाये तथा ई०पी०एफ० जमा करने का प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय में समय से प्रस्तुत किया जायेगा।
- तदोपरान्त मै० उज्जवल के सेवा प्राप्त किये जाने सम्बन्धी विस्तार अवधि पर विचार किया जाये। अन्यथा विकल्प भी तलाशी जाये।

(कार्यवाही – प्रशासनिक अधिकारी, उ०जै०वि०बोर्ड)

ऐजेण्डा 14: 2018–19 व 2019–20 के आय–व्यय के सम्बन्ध में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने से सम्बन्धित बिन्दु:–

बिन्दु :–

(1) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं लेखा परीक्षण (Audit) रिपोर्ट पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

(2) उत्तराखण्ड जैव विविधिता बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मदवार आय–व्यय के विवरण पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

(3) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराने का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

(4) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 लेखाओं की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) करने हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रेषित वित्तीय वर्ष 2019–20 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एंव वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्यय का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

(5) वित्तीय वर्ष 2020–21 के मदवार प्रस्तावित बजट का बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अनुमोदन :–

(1) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 के लेखाओं की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) करने हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एंव आय–व्यय का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(2) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(3) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 लेखाओं की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) करने हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एवं मदवार आय–व्यय का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(4) वित्तीय वर्ष 2020–21 के मदवार प्रस्तावित बजट का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

<u>ऐजेण्डा 15</u>: बोर्ड के लेखाओं की तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं लेखा परीक्षण (Audit) से सम्बन्धित बिन्दु :–

बिन्दुः– उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून लेखाओं का लेखापरीक्षण (Audit) की कार्यवाही चार्टेड अकाउण्टैन्ट के माध्यम से कराने का बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

समय अभाव के कारण उक्त बिन्दु पर चर्चा नहीं हो पाई। इस बिन्दु को आगामी बोर्ड बैठक के ऐजेण्डा में सम्मिलित किया जाये।

<u>ऐजेण्डा 16</u>: बोर्ड की वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट से सम्बन्धित बिन्दुः–

बिन्दुः— उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है, जिस पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अनुमोदनः— उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है, जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

<u>ऐजेण्डा 17:</u> **बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को विक्रय करने पर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में:—**

बिन्दुः— बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को विक्रय करने पर पुस्तक विक्रेताओं को 20 प्रतिशत छूट के स्थान पर 40 प्रतिशत छूट दिये जाने पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अनुमोदनः—बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को विक्रय करने पर पुस्तक विक्रेताओं को 20 प्रतिशत छूट के स्थान पर 40 प्रतिशत छूट दिये जाने का बोर्ड का अनुमोदन किया गया।

<u>ऐजेण्डा 18:</u> **जी०आई०जैड० परियोजनाः—**

बिन्दु :—

बैठक में निर्णय लिया गया कि परियोजना में मदवार किये गये कार्यो व आवंटित धनराशि के विरूद्ध व्यय तथा किये गये कार्यों का विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जी०आई०जैड० परियोजना अन्तर्गत किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण भी अगले बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही — टीम लीडर, अनुसंधान, उ०जै०वि०बोर्ड)

<u>ऐजेण्डा 19:</u> **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुः—**

अनुमोदन :—

बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय भी लिये गये :—

<u>19क:</u> **विशेषज्ञ समितियां :—** बोर्ड के सहयोगार्थ गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

- विशेषज्ञ समितियों की प्रत्येक 3 माह में बैठक आयोजित की जाये।

  (कार्यवाही — विशेषज्ञ समिति के सम्बन्धित अध्यक्ष)

- विशेषज्ञ समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष द्वारा आहुत की जायेगी तथा बैठक आयोजन करने में सदस्य—सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

  (कार्यवाही — विशेषज्ञ समिति के सम्बन्धित अध्यक्ष)

- विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजन करना, रिपोर्ट तैयार करना अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं अन्य साधन समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा।

  (कार्यवाही — सदस्य—सचिव, उ०जै०वि०बोर्ड)

- साधारण स्थिति में प्रत्येक विशेषज्ञ समिति की समयावधि 2 वर्ष के लिये होगा परन्तु आवश्यकता पडने पर समिति की अवधि बढाई भी जा सकती है।
- विशेषज्ञ समिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विशेषज्ञों को नामित करने पर विचार कर लिया जाये। इस प्रयोजन हेतु बोर्ड सदस्यों द्वारा नये विशेषज्ञ सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये जायेंगे।

(कार्यवाही – सदस्य–सचिव, उ०जै०वि०बोर्ड)

- विशेषज्ञ समिति के कोई सदस्य यदि निरन्तर 3 बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष, विशेषज्ञ समिति का यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दें तथा उनके स्थान पर किसी अन्य विशेषज्ञों को समिति का सदस्य नामित किया जायेगा।

(कार्यवाही – विशेषज्ञ समिति के सम्बन्धित अध्यक्ष)

- Expert Committee for formulating measures for Aquatic Biodiversity Conservation में जलीय वनस्पति विशेषज्ञ को भी सम्मिलित किया जाए। जलीय वनस्पति विशेषज्ञ के नाम बोर्ड के सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही – निदेशक/प्रतिनिधि, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून)

- विधिक विशेषज्ञ समिति के पुनर्गठन पर विचार करते हुए समिति की बैठक शीघ्र करायी जाए ताकि लम्बित महत्वपूर्ण मामलों का निस्तारण करने में विशेषज्ञों के आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जा सके।

(कार्यवाही – सदस्य–सचिव, उ०जै०वि०बोर्ड)

- उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों हेतु Whatsapp Group बनाये जाए।

(कार्यवाही–टीम लीडर, अनुसंधान/डेटाबेस मैनेजमैन्ट, उ०जै०वि०बोर्ड)

- समस्त समितियों व बोर्ड सदस्यों की वर्ष में कम से कम 1 बार संयुक्त बैठक का आयोजन करके महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार किया जाए।

(कार्यवाही – सदस्य–सचिव, उ०जै०वि०बोर्ड)

- उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा कराये जा रहे प्रकाशनों के सम्बन्ध में जागरूकता बढाने हेतु **जागरूकता एवं जन सम्पर्क विशेषज्ञ समिति** का गठन किया जाए।

(कार्यवाही – टीम लीडर, अनुसंधान, उ०जै०वि०बोर्ड)

19ख: **प्रकाशन** :— उत्तराखण्ड जैवं विविधता बोर्ड द्वारा समस्त प्रकाशनों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(कार्यवाही — डेटाबेस मैनेजमैन्ट, उ०जै०वि०बोर्ड)

- उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशनों की प्रति बोर्ड के सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही — प्रशासनिक अधिकारी, उ०जै०वि०बोर्ड)

19ग:— उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड का Vision Statement तय किये जाने हेतु अधिक से अधिक विशेषज्ञों से सुझाव लिये जाए।

(कार्यवाही — सदस्य—सचिव, उ०जै०वि०बोर्ड)

19घ:— उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड में कार्यरत अनुसंधान अधिकारियों, डी०टी०पी० और टैक्निकल एसोसिएट (डाटाबेस) को जे०आर०एफ० एवं एस०आर०एफ० के अनुसार ही पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर विचार किया जाये। इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न शोध संस्थानों में अपनाई गयी प्रक्रिया का विवरण सम्बन्धित संस्थानों से प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाही — उप—निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी, उ०जै०वि०बोर्ड)

अनुमोदित

13/10/2020
(राजीव भरतरी)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून

13/10/2020
(एस०एस० रसाईली)
सदस्य—सचिव
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून

संलग्नक–1

बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की सूची

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	बैठक में प्रतिभाग करने का माध्यम
1.	डा० सुनील कुमार अवस्थी	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	शारीरिक रूप से उपस्थित
2.	डा० बी०एस० अधिकारी	वैज्ञानिक–जी, भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून	शारीरिक रूप से उपस्थित
3.	डा० गौरव शर्मा	वैज्ञानिक–ई, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कौलागढ रोड, देहरादून	शारीरिक रूप से उपस्थित
4.	डा० एस०के० सिंह	वैज्ञानिक–ई, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, कौलागढ रोड, देहरादून	शारीरिक रूप से उपस्थित
5.	श्री रंजन कुमार मिश्रा	अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रतिनिधि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	शारीरिक रूप से उपस्थित
6.	श्री एल०एम० कौल	टीम लीडर (पी०बी०आर०), उत्ताराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून	शारीरिक रूप से उपस्थित
7.	श्री धनंजय प्रसाद	उप–निदेशक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून	शारीरिक रूप से उपस्थित
8.	डा० सी०एस० सनवाल	निदेशक, जड़ी–बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर चमोली।	वर्चुअल
9.	डा० आई०डी० भट्ट	वैज्ञानिक–एफ०, प्रतिनिधि निदेशक, गो.बी. पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत् विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा	वर्चुअल
10.	डा० बिवश पाण्डव	वैज्ञानिक–एफ०, भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून	वर्चुअल
11.	श्री एस०एस० रसाईली	सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून	शारीरिक रूप से उपस्थित

(एस०एस० रसाईली)
सदस्य–सचिव
उत्ताराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून